नगरीय क्षेत्रों के बाहर, नेशनल एवं स्टेट हाईवे तथा ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों में शर्तो के अधीन खुलेंगे भोजनालय व ढाबा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने छ.ग.शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में जिले में नगरीय क्षेत्रों के बाहर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों पर भोजनालय-ढाबा को शर्तो के अधीन खोलने एवं संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की है।

जिसके तहत भोजन सामग्री के लिए ढाबा मालिक को ग्राहक द्वारा एक घंटा पूर्व आर्डर करना होगा। ढाबा अथवा भोजनालय के अंदर रूककर अथवा बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। ढाबा मालिक को भोजन की सप्लाई पैकेट में तैयार कर करना होगा एवं स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन करना होगा। ढाबा एवं भोजनालय परिसर में सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का किसी भी स्तर से उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अनुमति तत्काल निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

ज्ञात हो कि तहसील तमनार अंतर्गत स्थान कुंजेमुरा में सुबोध ढाबा मो.नं.9301518642, तमनार में आनंद भोजनालय मो.नं. 9981073420, पूंजीपथरा में प्रमोद ढाबा मो.नं.9109550149, तराईमाल में दुबे ढाबा मो.नं.9417470465, उज्जलपुर में तिवारी ढाबा मो.नं.8827127055 शामिल है। इसी तरह तहसील घरघोड़ा अंतर्गत सराईपाली में कल्याण सिंह मो.नं.7828597824 एवं उदा में रंजीत कन्नौजिया मो.नं.9131864672, तहसील पुसौर अंतर्गत डूमरमुड़ा में पाप्युलर ढाबा मो.नं.9981854567, लोहरसिंह में सिंह ढाबा मो.नं.6232116045, कोड़ातराई में पारसमणी ढाबा मो.नं.9685182827, सुकुलभठली में साधु ढाबा मो.नं. 9093667026, तेतला में रंगीला ढाबा मो.नं. 7999077373, कठली में रौकन ढाबा मो.नं.9685311111, चिखली में दीपक ढाबा मो.नं.8085056724, तहसील रायगढ़ अंतर्गत लोईंग के लोईंग ढाबा मो.नं. 7828467372, अमलीभौना में सरवन ढाबा मो.नं.97137361113, बंगुरसिया में नेपाल गुप्ता मो.नं. 99770481141, सांगीतराई में विजय ढाबा मो.नं.6262600795, संबलपुरी में पूजा ढाबा मो.नं.7000470969, लाखा में डनसेना ढाबा मो.नं. 9981977812, कुशवाबहरी में लक्की ढाबा मो.नं.8319647554, गेरवानी में व्हीआईपी ढाबा 993238059, तराईमाल में तिवारी ढाबा मो.नं.7024856955, जोरापाली में भोला सिदार मो.नं. 7723948770, तहसील लैलूंगा के कोतबा रोड लैलूंगा में भगत ढाबा मो.नं.6264105030 एवं बाजार के पास राजपुर में छत्तीसगढिया ढाबा मो.नं.6261669279, तहसील बरमकेला के कटंगपाली-अ में निषाद ढाबा मो.नं.9131299569, पंचधारा में दिवान ढाबा मो.नं. 9777304488, कंचनपुर में हमार ढाबा मो.नं. 7000744472 एवं बरमकेला में सोनू भोजनालय मो.नं. 9993847222, तहसील धरमजयगढ़ के सिसरिंगा (सिम्हर पेट्रोल पम्प)के संगम ढाबा मो.नं.9752513429, बेहरामार, मुनुन्द के अर्जुन मो.नं.6266627414, खडग़ांव, हाटी रोड के महेश ढाबा मो.नं. 9131035976, बोजिया घरघोड़ा रोड में आर्शीवाद मो.नं.9617051492, बायसी कालोनी में आकाश ढाबा मो.नं.9691601735, चरखापारा में साहू ढाबा मो.नं.6260046170, हाटी में घासी ढाबा मो.नं.9753378911 एवं तरेकेला में आरसी पटेल ढाबा मो.नं. 8889854610, तहसील सारंगढ़ में महकमपुर में के.के.फेमिली ढाबा एंड होटल मो.नं.7999892409, सराईपाली में बिहारी ढाबा मो.नं.7566217272, दमदरहा में राजपूत ढाबा मो.नं.7049665150, सालर में मुन्ना ढाबा मो.नं.9827355261, छिंद में साहू ढाबा मो.नं.9098689982, टिमरलगा में यादव फेमिली रेस्टोरेंट मो.नं.7697254444, कोतरी में उत्सव रेस्टोरेंट मो.नं.9302260374, गुडेली में जायसवाल ढाबा मो.नं. 9977249101, दर्राभांठा में संतोष ढाबा, उमेदपुर में हाईवे ढाबा मो.नं. 9301251600, तहसील खरसिया अंतर्गत बरगढ़ के नेतराम मो.नं.7974029320, पलगढ़ा में लोकनाथ मो.नं.7024082160, आमाडोल में सुरेन्द्र मो.नं.7987145747, पतरापाली के अजय पटेल मो.नं. 9993847923, रामझरना के वाहिद मो.नं. 9893094394, सिंघनपुर के चैनदास मो.नं. 9630066767, नहरपाली के गंगाधर साहू मो.नं.9340407189, कुनकुरी के राजेश/बहादूर साहू मो.नं. 8889324713, चपले के विनय सिंह मो.नं. 7987903236 एवं चोढ़ा के रामधन मो.नं.6260429628 शामिल है।

महत्वपूर्ण एवं खास

गोदाम में चोरी की नियत से घुसे युवक को मोहल्लेवालों ने पकड़ा, गया जेल

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत फटहामुडा जाने वाले रास्ते पर राकेश अग्रवाल का गोदाम है, जिसमें पुराने सामान लोहा रखा हुआ है। दिनांक 21.04.2020 के दोपहर मुकेश सिदार गढउमरिया उपर पारा के रहने वाला गोदाम चोरी करने के लिए अंदर घुसा था जिसे आसपास के लोग पकड़ लिये और राकेश अग्रवाल को बताये। राकेश अग्रवाल द्वारा पुलिस चौकी की सूचना दिया गया। जुटमिल स्टाफ द्वारा आरोपी मुकेश सिदार पिता सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी गढउमरिया उपरपारा चौकी जुटमिल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के विरूद्ध राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर अप.क्र. 314/2020 धारा 457, 380, 511 भादंवि दर्ज किया गया है।

43 लीटर हाथ भट्ठी शराब एवं 950 कि.ग्रा.महुआ लाहन जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्र.सहायक आयुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में 19 से 21 अप्रैल 2020 तक धारा 34 (2) के अंतर्गत 2 प्रकरण लावारिस कायम किया गया है जिसमें 43 लीटर हाथ भट्ठी शराब तथा 950 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।

28 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट एवं होटल बार

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ),विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ)दुकानें, भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

युवती से किरायेदार द्वारा बात करने से मना करने पर मकान मालकिन की हत्या की

रायपुर (आरएनएस)। बिना सोचे समझे मकान किराये में देना खतरे को आमंत्रित करना है। पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार भवन मालिकों को मकान किराये में देने से पूर्व उसकी आईडी एवं संपूर्ण विवरण का रिकार्ड रखने की बार-बार चेतावनी दी जाती है। बावजूद इसके मकान मालिकों द्वारा बिना पतासाजी किये मकान किराये में दिया जाता है जिसके चलते आए दिन अपराधों में वृद्धि हो रही है। ज्ञात हो कि किरायेदार का विवरण रिकार्ड में रखना धारा 188 के तहत कानूनन रूप से रखा जाना जरूरी है किंतु अधिक किराये की लालच में मकान किराये पर देकर आये दिन लोग मुसीबत झेलते रहते हैं। तेलीबांधा थाने से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा ही एक मामला हीरा नगर तेलीबांधा में घटा है जहां पर मकान मालिक बिसंभर यादव आयु 23 वर्ष पिता गणेश यादव द्वारा आरोपी किरायेदार प्रकाश उर्फ छोटू आयु 20 वर्ष पिता भरत राजपूत को अपने घर में मकान किराये में दिया गया था। प्रार्थिया मकान मालकिन सविता यादव पति गणेश यादव आयु 45 वर्ष द्वारा आरोपी युवक को उसकी पुत्री के साथ बात करने पर अनेकों बार मना किया गया था जिससे क्रोध में आकर आरोपी प्रकाश द्वारा लड़की की मांग की रस्सी गले में लपेटकर गला दबाकर हत्या कर दी गई एवं शव को परछी पर लाकर चादर से ढंक दिया गया।

सूने पड़े कॉलेज में चोरों का धावा, 10 सिलिंग पंखे उतारकर ले गये

बलौदाबाजार (आरएनएस)। लॉकडाउन के दौरान बलौदाबाजार के सूने पड़े शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर वहां लगे 10 सिलिंग पंखों के साथ- साथ वहां लगी बिजली वायरिंग को भी नहीं छोड़ा। चोरों ने वायरिंग को जलाकर उसका तांबा भी चोरी कर ले गये। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के कारण सूना पड़े शासकीय दाऊ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय का आज जब दरवाजा खुला तो इस चोरी का पता चला। इसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉ एके उपाध्याय ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई।

गाड़ियों में बेवजह घूमने वालों पर हुई चालानी कार्यवाही

» एक दिन 402 व्यक्तियों से काटा गया 1,33,800 रुपए का समन शुल्क

» 20 बाइक और 12 कार किए गए हैं जप्त, लाक डाउन तक खड़ी रहेगी थाने में

» खरसिया में बगैर मास्क के घूमते लोगों पर हुई कार्यवाही

» सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने वाले 12 दुकानदारों पर जुर्माना

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले में आवश्यक सामानों की खरीदी बिक्री व अन्य जरूरत की वस्तुओं के सुधार कार्य के लिए सशर्त दोपहर 12.00 तक की अनुमति दी गई है परंतु कुछ व्यक्ति बेवजह अपनी दुपहिया/चार पहिया में घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को जिले के कई थाना प्रभारियों द्वारा समझाइश दी गई है। वहीं यातायात पुलिस सहित शहर के थाना चौकी प्रभारियों द्वारा आज सुबह पूरे शहर में ऐसे वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। दोपहर तक ही पूरे जिले में 402 प्रकरण बनाए जा चुके थे जिसमें कुल 1,33,800 रुपए का समन शुल्क चालकों को थमाया गया है। प्रकरणों में 20 बाइक व 12 कार को जप्त किया गया है, जिन्हें थाना परिसर अंदर खड़ी किया गया है। ये सभी वाहन लाक डाउन के समाप्ति पर न्यायालय पेश किये जायेंगे ।

वहीं आज खरसिया टाउन में प्रशासन/पुलिस की सयुंक्त टीम एक साथ पेट्रोलिंग कर सोसल डिस्टेंस पालन न करने व दुकान के सामने घेरा नही लगाने वाले 12 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही कराई गई, तथा मास्क नही पहनने वाले 30 लोग पर चालान हुए। खरसिया पुलिस द्वारा चौक चौराहे पर 6 लोगों पर एम.व्ही.एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई तथा अनावश्यक घूमने वालो को लाकडाउन का पालन करने की समझाईस दी गई है।

लॉक डाउन के बीच स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए जुटा हुआ है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

» बिगड़े पम्पों को सुधारने व क्लोरीनेशन का कार्य जोरों पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोविड-19 से निपटने के लिए लॉक डाउन और इस बीच बढ़ती गर्मी ग्रामीण इलाकों में पेयजल के बड़े स्त्रोत हैंडपंपों के लिए परेशानी का सबब बन सकते थे। किंतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लगातार बिगड़े हैंडपम्पों को सुधारने तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए पम्पों के क्लोरीनेशन का कार्य जोरों पर है।

गर्मी के मौसम में हैंडपंप बिगडने या सूखने की समस्या प्रायः देखी जाती है। लॉक डाउन में समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे में ग्रामीण जन को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े इसको दृष्टिगत रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पम्पों के सुधार कार्य हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पी.एच.ई. विभाग के कार्यपालन अभियंता संजय सिंग से मिली जानकारी अनुसार लॉक डाउन के बीच लोगों को पीने का पानी मिलता रहे इसके लिए विभाग का पूरा अमला जुटा हुआ है। रायगढ़ जिले में पिछले 15 दिनों में 205 समस्याग्रस्त और बिगड़े पम्पों को सुधारा गया। साथ ही 14992 पम्पों में स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की सफाई करने के लिए तरल क्लोरीन डाल कर क्लोरीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा जिले में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2696 पावर पम्प भी चल रहे हैं। पम्पों के सुधार कार्य में लगे कर्मचारी व मैकेनिक द्वारा मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन किया जा रहा है।

लॉक डाउन में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों के लिए मिली सशर्त अनुमति

» कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा जिले में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

जारी निर्देश अनुसार वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों के संबंध में पूर्व में जारी समेकित निर्देशों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी। जिनमे छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, बिजली के पंखे की दुकानें शामिल है। पब्लिक यूटिलिटी के में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है। आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है। उक्त प्रतिष्ठानों के संचालन का समय सुबह 05 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इसके साथ ही शीघ्र इन दुकानों से होम डिलीवरी प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा आयात-निर्यात हेतु पैकहाउस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों संबंधी शोध संस्थान, मधुमक्खी पालन के प्लान्टिंग, मधुमक्खी कालोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंतर्राज्य एवं राज्य के भीतर परिवहन सम्मिलित है। इसके साथ ही वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर सम्मिलित है।

शेष शर्ते जारी दिशा-निर्देश के अनुसार यथावत लागू रहेंगे। जिला क्षेत्रान्तर्गत हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाकडाऊउन के संबंध में समय-समय पर जारी संपूर्ण निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

जिले में 32542 घरों का एक्टिव सर्वेलेंस पूर्ण

» जिले में अन्य राज्यों से आये 6603 में से 1272 यात्री होम आईसोलेशन में

» जिले में आज तक कोई भी कोरोना के पाजिटिव मरीज नहीं

» स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनकी नियमित मॉनिटरिंग

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से कुल 213 यात्री आये हैं जिसमें से 213 यात्रियों का होम आईसोलेशन एवं क्वारेंटाईन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है।

जिले में अन्य राज्य से अब तक कुल 6603 यात्री आये हैं जिसमें से 5331 यात्रियों का होम आईसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 1272 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है एवं सतत् निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 280 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें से 151 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुआ है। शेष 127 का रिपोर्ट अप्राप्त है। वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटीव मरीज नहीं है।

10 मार्च के बाद प्रभावित अन्य राज्यों से आए 1425 व्यक्तियों का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव सर्वेलेंस किया जा रहा है। अब तक कुल 32542 घरों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया। सर्दी-खांसी व बुखार के लक्षण वाले को चिन्हांकित कर सूची तैयार की जा रही है। कोरबा व कटघोरा से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन में रखकर प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है आवश्यकता पडने पर सैम्पल लिया जावेगा।

मानसून पूर्व खाद-बीज का भण्डारण और वितरण शुरू

» जशपुर जिले में 1600 क्विंटल खाद-बीज उपलब्ध

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में आगामी 10 जून तक मानसून आने की संभावना बतायी गई है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की जानकारी दी गई है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज का भण्डारण किया जा रहा है। जिलों में वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। जशपुर जिले के सोसायटियों में एक हजार 600 क्विंटल खाद-बीज का भण्डारण कर लिया गया है। वहां के कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर ने जिले के किसानों से खाद-बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की है।

जशपुर के कृषि अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 15 हजार 180 क्विंटल धान बीज भण्डारण लक्ष्य के विरूद्ध अब तक सभी सहकारी समितियों में 1600 क्विंटल धान-बीज का भण्डारण कर लिया गया है। अन्य अनाज एवं दलहन 525 क्विंटल, तिलहन 195 क्विंटल का भण्डारण का कार्य मई के प्रथम सप्ताह तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया कि कुल खाद भण्डारण 15 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 5 हजार 508 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण हो चुका है। लॉकडाउन को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय पूर्व खाद बीज का अग्रिम उठाव करके अपने घरों में रख लें। किसानों को खाद-बीज लेने के समय सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखने कहा गया है। बताया गया कि जिले में जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इससे किसानों को रबी के मौसम में सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिल सकेगा। जिले में किसानों को अतिरिक्त रोजगार दिलाने के लिए बांस मिशन के तहत् 81 हैक्टेयर में बास का रोपण किया जा रहा है।

रैपिड जांच किट की निविदा की उच्च स्तरीय जांच हो-कौशिक

रायपुर (आरएनएस)। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मांग की है कि 75000 रैपिड टेस्ट किट खरीदने के लिए जो निविदा मंगाई गई थी उसकी उच्च स्तरीय होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि पूरे निविदा प्रक्रिया में अनेक विसंगतियां थी।

कौशिक ने अपने जारी बयान में कहा है कि नियम के मुताबिक अल्पकालीन निविदा में कोई अमानत राशि रखी गई थी, जो कि भंडार क्रय नियम का खुला उल्लंघन था। इसी कारण जिन फर्मो ने निविदा में भाग लिया था उन्होंने अपने मन से कोई भी रेट डाल दिया और जब उन्हें लगा कि हम इस दर पर समान नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने सामग्री देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमानत राशि ना होने के कारण विभाग के द्वारा ना तो कोई राशि जप्त की गई और ना ही निविदाकार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। वही विभाग के द्वारा निविदा निरस्त करने के कोई और कारण बताए गए हैं जबकि वास्तव में निविदा इसलिए निरस्त की गई है कि सफल निविदाकार द्वारा दरें कम भरी गई है ऐसी चर्चा लगातार हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निविदा निरस्त करके कहीं ना कहीं सफल निविदाकार को मदद प्रदान की गई है जबकि सफल निविदाकार के द्वारा जो दर भरी गई है उस दर से यदि अधिक दर पर किट खरीदी जाती है तो संपूर्ण अंतर राशि सफल निविदाकार से लेने के नियम हैं मगर निविदा को निरस्त किया गया है। जिससे की निविदाकार को लाभ पहुंचाया जा सके। इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को कठोर कदम उठाकर अंतर की राशि सफल निविदाकार से वसूलने के लिए निर्देश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि भंडार क्रय नियमों का पालन ना करके निविदा को आमंत्रित करना व बाद में निविदा को निरस्त कर देने से महामारी से निपटने के लिए हमारा प्रदेश काफी पीछे चले गया। हम अब पूरे प्रदेश में बहुत तेज गति से परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं जिससे यह तय नहीं हो पा रहा है कि और कितने संक्रमित व्यक्ति छत्तीसगढ़ में हैं जो कहीं अन्य लोगों को भी संक्रमित तो नही कर रहे हैं।

कौशिक ने कहा कि विडंबना यह है कि विभाग का कहना है कि जो निविदा निरस्त की गई है वह केंद्र शासन द्वारा कस्टम में दी गई छूट व अन्य कारणों से दी गई है जबकि विभागीय मंत्री श्री सिंहदेव का बयान था कि भारत को प्राप्त होने वाले रैपिड टेस्ट किट का अमेरिका चले जाने के कारण निविदाकार प्रदाय करने में असमर्थ है। इस पूरे मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए इसमें उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है साथ ही साथ निविदाकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए निर्देश देने चाहिए ताकि निविदाकारों को स्पष्ट संदेश जाए कि भंडार क्रय नियम का उल्लंघन करने से कठोर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि यदि सही निविदा का आमंत्रण किया जाता तो आज प्रदेश में 75000 किटों से परीक्षण त्वरित गति से प्रारंभ हो जाता। उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो किट की खरीदी हो वह मानक व निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही हो ताकि उस में किसी भी प्रकार की विसंगति ना आए और जांच में सही परिणाम हमें प्राप्त हो।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480